Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN: 2581-6241 Volume - 4, Issue - 10, Oct - 2021
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 5.146
Received on : 05/10/2021 Accepted on :20/10/2021 Publication Date: 25/10/2021

भारत की पुलिस प्रणाली में सुधार: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

आनन्द गोरा*
*जूनियर रिसर्च फेलो, अपराध शास्त्र और पुलिस अध्ययन विभाग, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान
ई-मेल - anandgora@gmail.com

सार : पुलिस प्रणाली में पुनरुत्थान के प्रयास जितने की आवश्यकता है उसके मुक़ाबले में बिलकुल ही नाकाफी साबित हुए है या यूँ कहा जाए की ऊंट के मुँह में जीरे के समान रहे हैं। राजनीतिक वर्ग से समर्थन की कमी, कार्यकारी शाखा से समर्थन की कमी और पुलिस के आंतरिक प्रयास पुलिस सुधार के लिए सबसे बड़ी बाधा थी जिसने सांसदों का ध्यान आकर्षित नहीं किया। अनुसंधानकर्ता ने अपने इस अनुसंधान मे भारत में पुलिस व्यवस्था की गहनता से समीक्षा की।

कुंजी शब्द : पुलिस प्रणाली, पुनरुत्थान, अनुसंधान ।

1. परिचय:

भारतीय संविधान पुलिस को राज्य के मामले के रूप में परिभाषित करता है[1], इसलिए हमारे देश के सभी 28 राज्यों तथा समस्त 8 केंद्र शासित प्रदेशो में स्वयं के पुलिस बल है। इसके साथ ही संविधान में यह भी प्रावधान किया गया है कि कानून और व्यवस्था बनाये रखने में देश के राज्यों के लिए केंद्र को भी अपने स्वयं के पुलिस बल बनाने की व्यवस्था है।[2] इसके लिए केंद्र द्वारा सात पुलिस बल और कई दूसरे पुलिस बलों को विशेष परिस्थितियों में खुफ़िआ जानकारी एकत्र करने, जांच पड़ताल, रक्षा एवं अनुसन्धान, रिकॉर्ड को सहेजने तथा रंगरूटों को प्रशिक्षण आदि कार्यो के लिए रखा जाता है। हकीकत में राज्यों में पुलिस का प्रमुख कार्य कानून और व्यवस्था को रखना है, अपराधियों को धर पकड़ना तथा अपराध की तीव्र जांच करना तथा अपराधियों से लोगो की सरक्षा सुनिश्चित करना है। हमारा भारत देश भौगोलिक तथा जनसँख्या के हिसाब से काफी बड़ा है इसलिए यहाँ पर पुलिस बालो के लिए उचित मात्रा में सुरक्षा कर्मियों, हथियारों, संचार तथा परिवहन की सहायता में पूर्ण रूप से तैयार रहना जरुरी आवश्यक प्रतीत होता है। साथ ही सरकारों को भी पुलिस को उचित भत्ता, अवसाद को कम करने के लिए परिवार के साथ समय बिताने, तथा अन्य संतोषजनक काम करने के लिए इस प्रकार की स्थिति जैसे काम के घंटे तथा पद में उन्नत्ति के उचित अवसर प्रदान करने चाहिए।

हमारे देश में शुरू से पुलिस सुधार पर काफी बातचीत होती रही है कई बार सरकारों द्वारा आयोग बनाये गए तथा उन आयोगों ने फिर अपनी रिपोर्ट व सिफारिशें भी सरकार को सौपी परन्तु सरकारों द्वारा उन्हें लागू नहीं किया गया। सबसे विस्तृत रूप से करीब आठ रिपोर्टे 1979-81 के दरम्यान राष्ट्रीय पुलिस आयोग (एनपीसी) द्वारा पेश की गयी तथा एक प्रारूप मॉडल पुलिसिंग पर भी तैयार किया। तत्पश्चात 2 अन्य आयोगों द्वारा एक आदर्श नीति मॉडल तैयार किया गया।

2. पुलिस सुधार की पृष्टभूमि:

देश में पुलिस को एक बहुत बड़ी एजेंसी माना जाता है जो कि उस राज्य की सत्ता पार्टी के अनुरूप कार्य करती है, जिस कारण कई बार वह अपने अधिकार और शक्तियों का दुरूपयोग भी करती हुई नज़र आती है। कम्युनिटी मैनेजमेंट से पुलिसिंग का अनुभव बहुत पुराना है लेकिन ब्रिटिश भारत (लॉर्ड कॉर्नवालिस) में एक संगठित कानूनी पुलिस प्रणाली 1792 में दरोगा प्रणाली दिखाई दी जिसे बाद में विस्तारित किया गया। मुंबई में दरोगा प्रणाली (1793) उस समय सरकार की अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रही और अपर्याप्त जनशक्ति के कारण गांव और नगर पुलिस इसे नियंत्रित करने में असमर्थ थी।

3. पुलिस पुनरुत्थान: स्वतंत्रता पश्चात्:

राज्यों की पुलिस को संविधान के सातवी अनुसूची और राज्य सूची। लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अनौपचारिक तौर से उस राज्य के पुलिस प्रशासन में सुधार व पुनर्गठन के लिए आग्रह कर सकती है। आजादी के बाद से विभिन्न

[1] सूची II, अनुसूची 7, भारत का संविधान, 1950
[2] सूची I, अनुसूची 7, भारत का संविधान, 1950

विशिष्ट एजेंसियों ने पुलिस संगठन की समस्याओं की जांच की है और सुधार के लिए सुझाव भी दिए हैं। पुलिस सुधार के लिए कई आयोग तथा समितियां बनाई गई जिसमे से कुछ मुख्य समितियों को हम यहाँ देखेंगे:-

1. गोरा समिति (1972)
2. राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1979-81)
3. वोहरा समिति (1993)
4. रिबेरो समिति (1998-99)
5. प्रशासनिक सुधार आयोग (2005)

4. पुलिस पुनरुत्थान की आवश्यकता

पुलिस राज्य सूची का विषय है जिस कारण राज्य के पास उसके पुलिस संघठन पर कानून बनाने या संशोधन करने की शक्ति विद्यमान है। मौजूदा समय में राज्यों के पुलिस बलों तथा केंद्रीय पुलिस बलों में काफी महत्व के पद खाली है।

- **रिक्तियाँ एवं बोझ**

2016 जनवरी तक, पुरे भारत में पुलिस के कुल स्वीकृत पदों 24 प्रतिशत में से यानी 22,80,691 में से 5,49,025 रिक्त थी। लगभग पिछले 10 साल में कुल रिक्त पद करीब 24 -25 प्रतिशत रहता है। सर्वाधिक रिक्त पद राज्यों में उत्तर प्रदेश के 50%, कर्णाटक के 36%, पश्चिम बंगाल के 33%, गुजरात के 32%, और हरियाणा में 31% थी। तब ही सात केंद्रीय पुलिस बलों में कुल स्वीकृत संख्या 9,68,233 थी। जबकि इनमे से 7% पद करीब 63,556 रिक्त थे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 10%, भारत तिब्बत सीमा पुलिस 9%, सशस्त्र सीमा बल 18%, तथा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 8% में अपेक्षाकृत अधिकतर खाली पद थे। केंद्रीय पुलिस बलों में 2007 से करीब 6-14% खाली पद है।[3]

इन्ही खाली पड़े पदों के कारण वर्तमान के पुलिस बल पर अत्यधिक बोझ लाद रहा है जो की आज की बहुत बड़ी समस्या है। भारत में करीब 481 लोगो पर एक पुलिस वाला है। सयुंक्त राष्ट्र ने प्रति लाख नागरिको पर 222 पुलिस वालों की सिफारिश की थी परन्तु भारत की स्वीकृत संख्या 181 पुलिस प्रति लाख व्यक्ति है।[4] इसलिए भारत में औसतन एक पुलिस कर्मी के पास भारी मात्रा में काम का बोझ रहता है और रोजाना लम्बे समय की हार्ड ड्यूटी करता है जिस कारण वह पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी को नकारात्मक होकर एक उदासीन रवैये के साथ पूर्ण करता है।[5]

- **पुलिस कांस्टेबल से सम्बंधित मुद्दे**

पुलिस महकमों में करीब 86 % पुलिस कांस्टेबल है जिस कारण इनके ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी आती है। इसलिए एक पुलिस कांस्टेबल की जिम्मेदारियां भी अनंत है। उन्हें ठीक से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि उनके पास कुछ विश्लेषणात्मक निर्णय लेने का कौशल होना चाहिए। महानगरीय क्षेत्रों में उच्च किराए और पुलिस थानों में पर्याप्त आवास की कमी उनकी दक्षता को प्रभावित करती है। पुलिस की क्षमता बढ़ाने के लिए आवास प्रदान किया जाना चाहिए। पुलिस आमतौर पर अच्छा काम करने के बाद ही पदोन्नत होती है, परन्तु पुलिस द्वारा समय समय पर पद्दोन्नत का आदेश नहीं दिया जाता है। यह आपके अच्छा करने की प्रेरणा को नुकसान पहुंचा सकता है।

- **अपराध जांच पड़ताल**

पुलिसिंग का सबसे महत्वपूर्ण लेकिन सबसे कठिन पहलू आपराधिक जांच है। इन दिनों मानक गिर गए हैं। इसके लिए आपराधिक जांच कौशल और प्रशिक्षण समय और संसाधनों और पर्याप्त फोरेंसिक कौशल और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। पुलिसिंग में प्रशिक्षण की भी कमी है और पेशेवर पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। उन्हें कानूनी जानकारी भी नहीं है। नतीजतन पुलिस बल सबूत हासिल करने के लिए बल प्रयोग करते हैं और यातनाएं देते हैं। भारत में अपराध को कम दर्ज किया जाता है। भारत में बहुत ही अधिक लंबित मामले है।

- **पुलिस का बुनियादी ढाँचा**

आधुनिक काल में उच्च स्तर की पुलिसिंग के लिए मजबूत हथियारों और गतिशीलता के स्तर की आवश्यकता होती है परन्तु सीएजी और बीपीआरडी ने इस क्षेत्र में खूब कमिया पायी है।

[3] "Data on Police Organisations", Bureau of Police Research and Development, 2016, http://bprd.nic.in/WriteReadData/userfiles/file/20170109030306873773 9DATABOOK2016FINALSMALL09-01-2017.pdf.
[4] "Data on Police Organizations", Bureau of Police Research and Development, 2016, http://bprd.nic.in/WriteReadData/userfiles/file/20170109030306873773 9DATABOOK2016FINALSMALL09-01-2017.pdf.
[5] "Model Police Manual: Volume 1", Bureau of Police Research and Development, http://www.bprd.nic.in/WriteReadData/userfiles/file/1645442204-Volume%201.pdf.

हथियार:- हथियार अप्रचलित हैं और खरीद प्रक्रिया धीमी है जिससे हथियारों और गोला-बारूद की कमी हो रही है। अगर बात राजस्थान पुलिस की करे तो 2009 -2014 की लेखाशाखा के मुताबित नवीनतम हथियारों की सुलभता में करीबन 75 % की कमी दर्ज की गयी है। पश्चिम बंगाल तथा गुजरात राज्यों में भी क्रमशः 71% तथा 36% अभाव पाया गया है।

पुलिस वाहन:- कई निरीक्षणों के अनुसार बहुत कम पुलिस वाहन हैं जो पुलिस के प्रतिक्रिया समय और इस प्रकार उनकी दक्षता को प्रभावित करती हैं।

पुलिस आधुनिकीकरण के लिए निधि का अल्प उपयोग: सरकारों द्वारा पर्याप्त धन केंद्र तथा राज्य पुलिस को आधुनिकीकरण के लिए आवंटित किया जाता है लेकिन इन निधियों के दुरुपयोग के साथ अन्य समस्याएं हैं। उदाहरणत: 2015-16 में पुलिस आधुनिकीकरण के लिए केंद्र एवं राज्यों को 1203 करोड़ रूपये आवंटित हुए परन्तु इसमें से मात्रा 14% ही खर्च किया गया।

- **जनसंपर्क**

पुलिस का जनसंपर्क एक गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि अपराध और हिंसा को रोकने के लिए समुदाय के विश्वसनीय सहयोग और समर्थन की आवश्यकता होती है। पुलिस और समाज के बीच संबंध संतोषजनक नहीं हैं क्योंकि लोग पुलिस को भ्रष्ट अक्षम और गैर जिम्मेदार के रूप में देखते हैं। परन्तु इस चुनौती को सामुदायिक पुलिसिंग मॉडल द्वारा हल किया जा सकता है। इसके लिए पुलिस को कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। अपराध को रोकने और उसका पता लगाने के लिए समुदाय के साथ काम करें। इसमें पुलिस गश्त और प्रतिक्रिया तंत्र की स्थापना शामिल हो सकती है।

विभिन्न राज्यों में अलग-अलग योजनाए चलायी जा रही है जैसे कि केरल में 'जनमैत्री सुरक्षा परियोजना', राजस्थान में 'संयुक्त गश्ती समितियों' के माध्यम से, असम 'मीरा पैबी' के माध्यम से, तमिलनाडु 'पुलिस के दोस्तों' के माध्यम से, पश्चिम बंगाल में 'सामुदायिक पुलिस परियोजना' के माध्यम से सामुदायिक पुलिसिंग के साथ प्रयोग कर रहे हैं। 'मैत्री' के माध्यम से आंध्र प्रदेश और 'मोहल्ला समितियों' के माध्यम से महाराष्ट्र में सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर दिया जा रहा है। यह सामुदायिक पुलिसिंग के लिए वाकई एक बेहतरीन प्रयास है।

5. पुलिस एक्ट में शोधन की आवश्यकता:

आज हमारा देश ऐसी स्थिति में है जहां पुलिस बल में निम्नलिखित परिवर्तन करके पुलिसिंग के प्रभावी कार्यो पर जोर देना चाहिए।

- **कर्तव्यों का विभाजन**:-

सभी पुलिस स्टेशनों को विभिन्न श्रेणियों में स्थापित करना चाहिए जैसे यातायात, साइबर, महिला छेड़छाड़, खुफिया, राज्य सीमा सीमा शुल्क, तट रक्षक और लड़ाकू बल आदि के अलग अलग महकमे होने चाहिए। साथ ही मेरा मानना है कि वित्तीय धोखाधड़ी के लिए रियल एस्टेट धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के लिए समर्पित विभाग की आवश्यकता होती है। कर्मचारियों को काम पर रखने से पहले संबंधित विभागों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

- **निरंतर मूल्यांकन:-**

हम पुलिसकर्मियों को बड़े पेट वाले देखने के आदी हो गए हैं जबकि पुलिस का बीएमआई अनुपात एक निश्चित सीमा के भीतर होना चाहिए तथा प्रदर्शन का एक निश्चित मानक निर्धारित करना होगा। 1 वर्षकाल में कम से कम 2 बार सभी पुलिसकर्मियों का शारीरिक तथा मानसिक परिक्षण होना चाहिए जिससे कि पुलिसकर्मी कुशलतापूर्वक समाज को अपनी सेवाएं दे सके तथा कर्तव्यपरायण होकर के अपना कार्य कर सकें।

- **तकनीकी प्रगति**:-

भारत एक लम्बा-चौड़ा देश है। हम सीसीटीवी कैमरों से सभी हरकतों को कवर नहीं कर सकते। इंटरपोल के रूप में घरेलू अपराधियों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाया जाना चाहिए।

- **सुरक्षा को राजनीती से अलग करना**:-

मुझे लगता है कि राज्यों के सभी सुरक्षा मुद्दे राज्यपाल के हाथ में होने चाहिए और केंद्रीय मुद्दे राष्ट्रपति के हाथ में होने चाहिए। पुलिसकर्मियों के स्थानान्तरण करने की शक्ति के साथ एक सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा राज्यपाल की अध्यक्षता में नागरिक समाज के अन्य नेताओं की एक अलग समिति का गठन किया जा सकता है।

6. निष्कर्ष :

हमारे देश की स्वतंत्रता के पश्चात् से आज तक कई सरकारों ने पुलिस सुधार को अपने मुख्य कार्यो की सूची में प्राथमिकता के साथ रखाना दिखाया है लेकिन सालों बाद भी पुलिस को अक्षम के रूप में देखा जाता रहा है, इस अक्षमता के लिए राजनीतिक

दबाव भी सवालो के घेरे में है। इस संबंध में भारत में पुलिस एक्ट 1861 में स्थापित किया गया था और परन्तु आजतक सरकारों ने कुछ नाटकीय बदलाव किए हैं और हम अभी भी केवल कुछ बदलावों का पालन कर रहे हैं। अपेक्षित पुलिस आबादी बढ़ी है और अपराध के नए रूप सामने आए हैं। इसे बदलना होगा क्योंकि पुलिस प्रशासन जनहित में नहीं है। आज की स्थिति को देखते हुए, सभी नागरिकों के वैध हितों की रक्षा के लिए, सभी के मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए पुलिस व्यवस्था में सुधार करने की सख़्त जरुरत है। देश में स्थापित लोकतंत्र प्रणाली के लिए पुलिस पुनरुत्थान महत्वपूर्ण है। पुलिस पुनरुत्थान की आवश्यकता बहुत लम्बे समय से चली आ रही है। तब से सतह पर धूल की कई खबरें आई हैं। अब उन परिवर्तनों को देखने का समय है जिन्हें करने की आवश्यकता है। अब पुलिस को एक सेवा संगठन के रूप में देखा जाना चाहिए। इसलिए अब समय आ गया है जब भारत में पुलिस की जवाबदेही तथा उत्तरदायित्व तय किया जावें और 1861 के पुलिस एक्ट में सुधार करके एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जो भारत की जनता को समर्पित हो तथा जिसमे सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर दिया गया हो तथा विभिन्न समितियों द्वारा सुझाये गए बिन्दुओ का भी समावेशन हो।